न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण अपील (रसद)संख्या 70/20 **वर्ष 2020**
जीसीएमएस संख्या 2020/00160

बउनवानीः—यादवेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री महेन्द्र शेखावत उ.मू.दुकानदार ग्राम पंचायत खण्डेवला 1/2 भाग, तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अभियोग संख्या 17/2020 पारित आदेश दिनांक 14.10.2020 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन एवं असेसियल आर्टीकल रेगूलेसन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1976)

उपस्थितः—श्री अभय कुमार गुप्ता — वकील अपीलान्ट
श्री धर्मचन्द अग्रवाल (प्रवर्तन अधिकारी) — पैरोकार रसद

—:निर्णय :— **दिनांकः— 02.02.2021**

प्रस्तुत अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के अभियोग संख्या 17/2020 मे पारित आदेश दिनांक 14.10.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है, जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात रेस्पो. की तलवी जरिये नोटिस किये जाने के साथ ही अदालत मातहत का मूल अभिलेख तलब किया जाकर अपील के सन्दर्भ मे बहस वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य होने के कारण खारिज फरमाया जावें। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत खण्डेवला का 1/2 भाग का उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है। तथा बिना किसी शिकायत के उपभौक्ताओ को नियमित राशन सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। यह तर्क भी दिया कि प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 2.5.2020 को प्रार्थी की दुकान की जॉच की गयी तथा जॉच के आधार पर जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.5.2020 को प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर दिनांक 4.5.2020 को कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसमे अधिकांश आरोप तकनीकी प्रकृति के है कारण बताओ नोटिस मे दुकान बंद मिलना, दुकान के बहार मूल्य सूची बोर्ड पर प्रविष्टियों का इन्द्राज नही होना, मोबाईल बन्द रखना व जॉच से पूर्व जानबूझकर दुकान बन्द कर जाने बाबत [illegible] लगाये है उक्त जॉच में गबन को लेकर कोई भी आरोप अपीलान्ट पर [illegible] कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 3.6.2020 को प्रस्तुत किया गया किन्तु जिला रसद अधिकारी [illegible] कारण बताओ नोटिस को कन्सीडर किये बिना प्रार्थी की दु[illegible] का प्राधिकारी पत्र [illegible] दण्ड देते हुए निरस्त कर दिया। यह तर्क भी दिया कि वरवक्त निरीक्षण प्रार्थी के स्टॉक मे पूर्ण रसद सामग्री थी लेकिन अटैच डीलर द्वारा तत्समय रसद सामग्री का उठाव नही किया एवं कारण बताओ नोटिस मे भी गबन को लेकर कोई आरोप नही है। आदेश जैर अपील में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:38:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रार्थी पर 70.95.200 क्विंटल गेंहूॅ अटैच डीलर को सुपुर्द नही करने को आरोप लगाया गया है, जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त गेंहूॅ व 3.36 किलो चना अटैच डीलर को सुपुर्द करने बाबत कई बार निवेदन किया गया इसलिए उक्त राशन सामग्री सुपुर्द किये जाने मे अपीलान्ट की कोई बदयान्ति नही है। यह तर्क भी दिया वर्तमान मे राशन सामग्री वितरण व्यवस्था पीओएस मशीन के माध्यम से ऑन लाईन की जाती है जिसमे कालाबाजारी अथवा किसी उपभौक्ता की बिना उपस्थिति के राशन सामग्री दिया जाना सम्भव नही है। इसलिए कालाबाजारी का कोई मौका ही नही बनता है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी द्वारा काल्पनिक व मनमाने तरीके से पारित आदेश जैर अपील बेबुनियादं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उचित मूल्य दुकानदार श्री यदुवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत खण्डेवला 1/2 भाग तहसील खण्डार की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त उचित मूल्य दुकानदार की जॉच प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर से करवायी गयी। दौराने जॉच दुकान बन्द मिली,दुकान पर मूल्य सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड पर संघारित किया हुआ नही पाया गया तथा फोन बन्द मिला, दुकान की जॉच करने की सूचना प्राप्त होने पर दुकान बन्द कर चला गया, जबकि कोरोना काल के चलते प्रतिदिन दुकान खोलना आवश्यक था। उक्तानुसार रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यालय आदेश क्रमांक अभियोग/362 दिनांक 2.5.2020 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर उक्त उचित मूल्य दुकान की अस्थायी वितरण व्यवस्था हेतु नजदीकी ग्राम पंचायत के उचित मूल्य दुकानदार अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति,ग्राम पंचायत खण्डेवला को अधिकृत किया गया तथा पीओएस मशीन व अवशेष स्टॉक हस्तानान्तरण बाबत आदेश दिये जाकर जरिये पत्रांक 392 दिनांक 4.5.2020 से कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसका जवाब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 27.7.2020 को प्रस्तुत किया गया। अटेचमेंट डीलर द्वारा पीओएस मशीन व मशीन मे अवशेष स्टॉक अपीलान्ट डीलर से हस्तानान्तरण करवाने बाबत माननीय विधायक महोदय को दिनांक 14.9.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 14.9.2020 को स्टॉक हस्तानान्तरण करवाया गया जिसमे 70.95.200 क्विंटल गेंहूॅ चीनी 3.7 किलो व चना दाल 3.36 किलो कम सुपुर्द की गयी है। उक्त कम स्टॉक को अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति को सुपुर्द करने बाबत दिये गये नोटिस को लेने से मना किये जाने पर उक्त राशन सामग्री के गबन बाबत अपीलान्ट डीलर के विरूद्व श्रीमति पूजा मीना प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 24.9.2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना खण्डार पर दर्ज करवायी गयी। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा राशन सामगी का गबन करने एवं प्रस्तुत जवाब के समर्थन मे कोई तर्क संगत साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही करने के कारण राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 8,9, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकार पत्र की प्रतिभूति राशि 1000/— रू सम्पहरण एवं राशन सामग्री की गबन राशि 191570/—रू की वसूली भारित करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:38:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 2.5.2020 को अपीलान्ट की दुकान की जॉच की जाने पर वरवक्त जॉच दुकान बन्द मिली,दुकान पर मूल्य सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड पर संघारित किया हुआ नही पाया गया तथा फोन बन्द मिला, दुकान की जॉच करने की सूचना प्राप्त होने पर अपीलान्ट दुकान बन्द कर जाने बाबत रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यालय आदेश क्रमांक अभियोग/362 दिनांक 2.5.2020 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर पीओएस मशीन व अवशेष स्टॉक अन्नपूर्णा महिलां सहकारी समिति को हस्तानान्तरण बाबत आदेश दिये जाकर पत्रांक 392 दिनांक 4.5.2020 से कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसका जवाब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 27.7.2020 को प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट डीलर द्वारा पीओएस मशीन व अवशेष स्टॉक अटेचमेंट डीलर को हस्तानान्तरण नही करने पर अटेचमेंट डीलर द्वारा माननीय विधायक को दिनांक 14.9.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 14.9.2020 को स्टॉक हस्तानान्तरण करवाया गया किन्तु अपीलान्ट द्वारा अटेच डीलर को पीओएस मशीन मे अंकित स्टॉक से 70.95.200 क्विंटल गेंहूँ ,चीनी 3.7 किलो व चना दाल 3.36 किलो राशन सामग्री कम सम्भलायी गयी है तथा उक्त कम स्टॉक को अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति को सुपुर्द करने बाबत दिये गये नोटिस को लेने से मना किया जाने पर उक्त राशन सामग्री के गबन के संबंध अपीलान्ट डीलर के विरूद्व श्रीमति पूजा मीना प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 24.9.2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना खण्डार पर दर्ज करवायी जाकर अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 8,9, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकार पत्र की प्रतिभूति राशि 1000/– रू सम्पहरण एवं राशन सामग्री की गबन राशि 191570/–रू की वसूली भारित करते हुए आदेश जैर अपील से अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र विधिवत रूप से निरस्त किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 2.2.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:38:29 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर